

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.05.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक- 23.05.2017 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी

01 वारंटी गिरफ्तार-

-दिनांक 23.05.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0स0-1288/05, धारा-342/323/504/506 के वारंटी अभियुक्त-सुगर सिंह पुत्र मूलचंद्र लोधी निवासी धनौरी थाना राठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 23.05.2017 को समय-05-00 बजे थानध्यक्ष मुस्करा ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-120/17, धारा-306 भादवि के वांछित अभियुक्त-मदन सिंह पुत्र हरदयाल निवासी भैसाय थाना मुस्करा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-दिनांक 23.05.2017 को समय-06-30 बजे थानध्यक्ष मुस्करा ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-124/17, धारा- 306 भादवि के वांछित अभियुक्त-उमाशंकर पुत्र चंद्रभान निवासी खड़ेही लोधन थाना मुस्करा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-शान्तिभंग की आशंका मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार-

-थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना ललपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना राठ पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना मुस्करा पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना बिवार पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 24.05.2017 जनपद हमीरपुर

जनपद हमीरपुर.... दिनांक 23.05.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना, तीन सवारी, अवैध नम्बर प्लेट,सीट बेल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।

चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 41 वाहनो से 13,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया